



2026:AHC:7744

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 40587 / 2025

रहमतुल्लाह खान उर्फ सददाम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: दिनेश कुमार सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सिंह तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत आवेदक रहमतुल्लाह खान उर्फ सददाम की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि मुकदमा अपराध संख्या 288 वर्ष 2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना फरेंदा, जनपद महाराजगंज में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसके विरुद्ध दो आपराधिक मामलों का इतिहास है, जिसका पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है।

यह भी कहा गया कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है तथा अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में उसने कोई सहयोग या सहायता नहीं की है। उक्त मामलों के अतिरिक्त उसका कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्षियों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक दिनांक 28.09.2025 से जेल में निरुद्ध है और यह आश्वासन देता है कि जमानत मिलने पर वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालयों में वादों के अत्यधिक लंबित होने के कारण विचारण शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य मामला इंगित नहीं कर सके।

प्रकरण के समस्त तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह जमानत प्रदान किए जाने का उपयुक्त मामला है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अतः आवेदक **रहमतुल्लाह खान उर्फ सद्दाम** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में, व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्य प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाव में नहीं लेगा/धमकाएगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा—

(क) प्रकरण के उद्घाटन के समय,

(ख) आरोप निर्धारण के समय, तथा

(ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के समय।

(iv) आवेदक एक प्रतिज्ञा-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह उन तिथियों पर, जब साक्ष्य हेतु गवाह उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपर्युक्त शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे प्रकरण के गुण-दोष पर किसी अभिमत के रूप में नहीं लिया जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 13 जनवरी, 2026

दीपक/